न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री रामनिवास मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 03/2023/अपील

उनवान

1. बालबगस पि. किशनलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा

—— अपीलांटस

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत डोला पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल
2. तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड राज0

—— रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 10.01.2023 नामा.सं. 2007

ग्राम पंचायत डोला

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री अशोक पाटीदार

रेस्पोडेन्टस सं. 1 – पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा

रेस्पोडेन्टस सं. 2 – सरपंच ग्राम पंचायत डोला पंचायत समिति पिडावा

आदेश दिनांक : 20/03/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत डोला द्वारा निर्णित नामा.सं. 2007 दिनांक 10.01.2023 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डोला की जमाबंदी खाता सं. 217 में दर्ज आराजी किता 11 रकबा 2.8708 हेक्टर भूमि अपीलांट के पिता किशनलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खाते की आराजी में से ख.नं. 345 रकबा 0.1265 हेक्टर भूमि के संबंध में नामा. सं. 2007 दर्ज होकर दिनांक 10.01.2023 को तस्दीक हुआ जिससे असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांटस के पिता किशनलाल पि. लक्ष्मण दांगी की पुश्तैनी आराजी है जो उनको उनके बाप दादाओ से मिली है जिसमें किशनलाल का 1/4 हिस्सा निहित है। अपीलांटस बालबगस ने अपना हिस्सा प्राप्त करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा में एक वाद एवं एक

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2024
Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Niwas Meena
Date: 2024.03.28 12:14:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र बालबगस बनाम किशनलाल प्रस्तुत कर रखा है जिसमें प्रार्थना पत्र सं. 61/2022 बउनवान बालबगस बनाम किशनलाल में आदेश दिनांक 23.05.2022 से ग्राम डोला की जमाबंदी खाता सं. 217 में दर्ज आराजी किता 11 रकबा 2.8708 हेक्टर भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं बेचान व हस्तानान्तरण नहीं करने बाबत आदेश प्रदान कर रखा है जो कि वर्तमान में भी लागू है। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश होने के बावजूद ख.नं. 345 रकबा 0.1265 हेक्टर भूमि के संबंध में बेचान का नामा.सं. 2007 दर्ज होकर दिनांक 10.01.2023 को तस्दीक किया गया जिसमें खातेदार किशनलाल व बापूलाल के हिस्से की भूमि खरीददार भागीबाई के नाम दर्ज किया गया जिसे ग्राम पंचायत डोला द्वारा बिना विधिक जांच किये तस्दीक किया है जो खारीज योग्य है।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत डोला का आदेश नामा.सं. 2007 दिनांक 10.01.2023 को निरस्त कर जमाबंदी में पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश प्रदान किया जावे। अपील के साथ ग्राम डोला के नामा.सं. 2007 एवं न्यायालय का स्थगन आदेश व प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टसं. 1 की ओर से जांच रिपोर्ट पेश कर जवाब में निवेदन किया कि नामा.सं. 2007 दर्ज करवाते समय खरीददार भागीबाई पत्नि पूरीलाल दांगी द्वारा न्यायालय के प्रकरण सं. 54/2022 की प्रति जो NOT PRESS में खारीज हो रहा था, दिखाई एवं विवाद रहित बताकर नामान्तकरण दर्ज करवाया। इस प्रकरण जैसा ही हूबहू प्रकरण 61/2022 है जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है परन्तु उक्त निषेधाज्ञा का नोट जमाबंदी पर दर्ज नहीं होने से सहवन से नामा.सं. 2007 दर्ज हो गया।

माननीय न्यायालय के प्रकरण सं. 54/2022 को दिनांक 23.05.2022 को NOT PRESS में खारीज किया हुआ है एवं प्रकरण सं. 61/2022 में दिनांक 23.05.2022 को स्थगन आदेश जारी किया हुआ है जिस कारण भूलवश नामा.सं. 2007 को दर्ज करने की गलती हुई है इसलिये सम्पूर्ण प्रकरण में शिथिलता बरतते हुये अपील स्वीकार कर नामा.सं. 2007 दिनांक 10.01.2023 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। जांच रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट पटवारी, नामान्तरण परत, बेचान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

COURT 2024

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Niwas Meena
Date: 2024.03.28 12:14:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

पत्र दिनांक 08.04.2022 की प्रति , जमाबंदी खाता नकल, प्रकरण सं. 54/2022 व 61/2022 की आर्डरशीट व प्रार्थना पत्र की छायाप्रतियां प्रस्तुत की।

रेस्पोडेन्टस सं. 2 द्वारा भी इसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत कर नामा.सं. 2007 दिनांक 10.01.2023 को निरस्त करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा में बालबगस बनाम किशनलाल बउनवान से दो प्रार्थना पत्र दर्ज हुये जिसमें एक प्रार्थना पत्र सं. 54/2022 को दिनांक 23.05.2022 को NOT PRESS में खारीज किया हुआ है एवं दूसरा प्रार्थना पत्र सं. 61/2022 में दिनांक 23.05.2022 को दर्ज होकर स्थगन आदेश जारी हुआ है। चूंकि दोनो प्रार्थना पत्र एक ही उनवान एवं एक ही आराजी से संबंधित है जिससे मानवीय भूल होना स्वाभाविक है। इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा में विचाराधीन प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. 61/2022 में दिनांक 23.05.2022 को दर्ज होकर स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद दिनांक 08.04.2022 को पंजीबद्ध बेचान पत्र के आधार पर दर्ज किया गया नामा.सं. 2007 काबिल खारीज है।

आदेश

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर ग्राम डोला की जमाबंदी के खाता सं. 217 की आराजी ख.नं. 345 रकबा 0.1265 हेक्टर भूमि के संबंध में नामा.सं. 2007 दिनांक 10.01.2023 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(रामनिवास मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
COURT 20
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Niwas Meena
Date: 2024.03.28 12:14:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner